भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4595
दिनांक 23 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ

अप्रयुक्त भूमि

4595. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:
श्री नलीन कुमार कटील:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त भूमि है; और

(ख) यदि हां, तो अप्रयुक्त भूमि के क्षेत्रफल को दर्शाते हुए इसका राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 18 और प्रविष्टि 45 के अनुसार, "भूमि" और उसके प्रबंधन का विषय राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। भूमि से संबंधित कानून बनाने की शक्तियां राज्यों के विधानमंडलों में विहित हैं। 'भूमि' और उससे संबंधित मामलों से निपटने के लिए प्रत्येक राज्य के अपने राज्य-विशिष्ट राजस्व कानून हैं। भूमि संसाधन विभाग में अप्रयुक्त भूमि से संबंधित सूचना का केन्द्रीय रूप से रख-रखाव नहीं किया जाता है।

*****